पत्रांक 1526 /एम एस कैम्प/20
दिनांक 10-7-19

माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों के अन्तर्गत गठित अनुश्रवण समितियों के द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा एवं तदनुसार की जाने वाली अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 29.06.2019 के मध्याह्न 12.00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त :—

माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों के अन्तर्गत गठित अनुश्रवण समितियों के द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा एवं तदनुसार की जाने वाली अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 29.6.2019 के मध्याह्न 12.00 बजे बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

1— मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न आदेशों के अनुपालन हेतु पूर्व में गठित अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए नई अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है, उक्त समितियों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति का नियमित अनुश्रवण रखते हुए प्रतिमाह आख्या मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

C-2
10-7-19

2— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 में चिन्हित 12 नदियों के प्रदूषित रिवर स्ट्रेच हेतु एक्शन प्लान बनाये गये है। प्राथमिकता के अन्तर्गत चिन्हित 04 नदियॉ काली पूर्वी, हिण्डन, यमुना एवं वरूणा हेतु पूर्व में गठित रिवर रिजूवेनेशन समिति से अनुमोदनपरान्त एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली भेजे गये है। इसके अतिरिक्त भी अन्य 08 नदियों हेतु एक्शन प्लान तैयार कर बोर्ड की वेब—साईट पर अपलोड कर दिये गये हैं। किन्तु नवगठित रिवर रिजूवेनेशन समिति, जिसके अध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त है। वर्तमान में यह पद रिक्त होने के कारण समिति से अनुमोदन नहीं कराया जा सका है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि जब तक यह पद रिक्त हैं तब तक प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को आर0आर0सी0 का अध्यक्ष नामित किया जाय।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 / उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

3— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ओ0ए0 संख्या 200 / 2014 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा नदी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुश्रवण हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन की अध्यक्षता में गंगा नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु अनुश्रवण समिति गठित की गई थी। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुश्रवण समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कुम्भ मेला

क्षेत्र, प्रयागराज में बने हुए सीवेज, स्टॉम वाटर ड्रेन्स का रेमिडिऐयशन, सफाई कराया जाना एवं लीगेसी वेस्ट के निस्तारण एवं ट्रीटमेन्ट आदि के संबंध में कृत कार्यवाही का भौतिक सत्यापन 03 अधिकारियों की उपसमिति गठित कर जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्षेत्र का निरीक्षण कराया जाये। निरीक्षण के समय मेला अधिकारी एवं नगर आयुक्त, प्रयागराज भी साथ रहेगें तथा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी करायी जाये। निरीक्षण की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

4– मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 06/2012 एवं 300/2013 मे पारित आदेश दिनॉक 26.7.2018 द्वारा सुश्री शैलजा चन्द्रा एवं श्री बी0एस0 सांगवान की अनुश्रवण समिति द्वारा की गयी सस्तुतियों के कम में कृत कार्यवाही के भौतिक सत्यापन हेतु आर0आर0सी0 उपसमिति गठित कर एक सप्ताह में जॉच करायी जाये एवं बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की जाय। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी व नगर आयुक्त भी उपस्थित रहेगें। इस संबंध में एक्शन टेकेन रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दायर करायी जायें।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

5– मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि 12 Polluted River Stretches हेतु तैयार किये गये एक्शन प्लान में निहित Short term एक्शन बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही का सत्यापन समिति गठित कर किया जाये जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारी व नगर आयुक्त, विकास प्राधिरण व सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रहेगें। उक्त समिति द्वारा एक सप्ताह में निरीक्षण कर आख्या प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

6– गोमती नदी के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 सिंह द्वारा मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित रिपोर्ट दिनॉक 08.06.2019 के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में 33 ड्रेन के माध्यम से सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें से 16 ड्रेन टैप्ड 07 ड्रेन अनटैप्ड है तथा 10 ड्रेन आंशिक टैप्ड हैं। अनटैप्ड एवं आंशिक टैप्ड ड्रेन्स के माध्यम से अशोधित सीवेज गोमती में गिरता है। इसके अतिरिक्त गोमती नदी के 100 मी0 के क्षेत्र में 29 स्थानों पर सालिड वेस्ट डम्प किया गया है, जो बह कर गोमती नदी में जाता है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी ड्रेन्स में बार

मैश लगाई जाये जिससे सालिड वेस्ट एवं फ्लोटिंग मैटिरियल गोमती नदी में न गिरें। इसके अतिरिक्त गोमती नदी से जल कुम्भी एवं फ्लोटिंग मैटिरियल की स्कीमर से निरन्तर सफाई करायी जाय। सीवेज शुद्धिकरण हेतु स्थापित किये गये एस0टी0पी0 मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे है, जिनका सुचारू रूप से संचालन कराया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये शुद्धिकृत सीवेज सदैव निधारित मानकों के अनुरूप रहें। मुख्य सचिव द्वारा नगर आयुक्त को निर्देश दिये गये कि नदी से 200 मी0 दूरी तक कूडा फेकने को पूर्णतय प्रतिबन्धित किया जाये, एवं इस हेतु जगह–जगह पर जन–सामान्य को जागरूकता हेतु बोर्ड लगवाये जायें। नदी के विभिन्न क्षेत्रों में पडे. कूडे. को तत्काल हटाया जाये तथा पुनः उन स्थलों पर कूडा न फेका जाये इस हेतु निरन्तर निगरानी रखी जाये, घाटों की नियमित सफाई की जायें एवं ड्रेन्स का बायो रेमिडिएशन किया जाये। इसके अतिरिक्त गोमती नदी से जल कुम्भी व फ्लोटिंग मैटिरियल को स्कीमर लगाकर तत्काल सफाई करायी जाये। स्कीमर हेतु नगर आयुक्त द्वारा डी0पी0आर0 बनाकर स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कय करा ली जायें।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, लखनऊ /नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ)

7– सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नदी पर बांध बनाकर गोमती नदी के जल को कुडियाघाट के पास रोका गया है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 70 मी0 का रिवर फ्रंट का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है जिस पर सिचॉई विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण गोमती नदी पर कोई कार्य नही कराया जा सका है। इस पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वॉछित Ecological Study Report सिचॉई विभाग द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी है तथा गोमती के 100 मी0 के क्षेत्र में शैचालय भी बना है जब कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार नदी के 100 मी0 के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य किया जाना पूर्णतय प्रतिबन्धित है। इस पर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि सिचॉई विभाग Ecological Study Report एक सप्ताह में SEIAA के समक्ष प्रस्तुत करें तथा 100 मी0 क्षेत्र मे बने शौचालय को ध्वस्त/सील कर दिया जायें एवं गोमती नदी के फ्लोटिंग मैटिरियल एवं जल कुम्भी की तत्काल सफाई करायी जायें।

(कार्यवाही–सिचॉई विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ /लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ)

मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर 10 दिन के पश्चात पुनः बैठक रखी जाये एवं माननीय एन0जी0टी0 में एक्शन टेकेन रिपोर्ट दाखिल की जाये।

अन्त में उपस्थित सभी अधिकारियों का धन्यवाद दिया गया।

डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–753/55–पर्या–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 10 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखऊ।
7– निदेशक, भूगर्भ जल, लघु सिंचाई, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।